कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप

***कु0 नीरज आर्या**
****प्रो0 राजेश्वरी पंत**

भारतीय परम्परा में शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रों मे की जाने वाली पूजा इसका प्रमाण है। शक्ति का अर्थ है– नारी, लेकिन विडम्बना यह है कि जिस देश में लोग नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है वही कन्या भ्रूण हत्या के जघन्य पाप के भागीदार होते जा रहे हैं। जहाँ हम कन्या को देवी मानकर पूजते है, वही देवी को पैदा होने से पहले गर्भ मे समाप्त करने में नहीं झिझकते हैं।[1]

कन्या भ्रूण हत्या के पीछे हमारी पुरातन पंथी नीतियाँ और धार्मिक रूढ़ियाँ भी दोषी हैं। पुत्र की प्राप्ति से ही वंश को आगे बढ़ाया जा सकता है। पुत्र ही बुढ़ापे का सहारा होता है तथा मृत्यु के पश्चात् मुखाग्नि देने का अधिकार भी पुत्र को ही प्राप्त है। पुत्र से प्राप्त मुखाग्नि से ही मोक्ष प्राप्त होता है। पुत्री तो पराया धन है जिसके विवाह में दहेज के रूप मे अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है। मानव ने अपनी स्वार्थ परता के चलते प्रकृति के नियमों से ही छेड़छाड़ करना प्रारम्भ कर दिया जो कि कन्या जीवन के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि जन्म लेने से पूर्व ही कन्या के अस्तित्व को समाप्त कर एक ऐसा घोर अन्याय और पाप हो रहा है। जहाँ पर कन्या अपनी माँ की कोख में ही सुरक्षित नहीं है।

कन्या भ्रूण हत्या के पारम्परिक तरीके–

'मातृभूमि' फिल्म में भारत के एक ऐसे गाँव का वर्णन है, जहाँ पुत्री के पैदा होते ही उसकी 'दूधपीती' कर दी जाती है अथात् दूध से भरी बाल्टी में उसे डुबाकर मार दिया जाता है। हरियाणा में एक गाँव है बामला जहाँ 70 प्रतिशत युवा कुवाँरे हैं। गाँव मे और गाँव के आसपास के इलाकों में उनके लिए शादी योग्य लड़कियाँ हैं ही नहीं क्योंकि सभी घरों में केवल लड़के ही हैं।[2] तमिलनाडु में लोग बेटियों के पैदा होते ही बड़े पैमाने पर उनकी हत्या करा देते हैं। सोचनीय स्थिति यह है कि यहाँ की औरतें खुद इस बात से दुखी हैं कि उनका जन्म औरत के रूप में हुआ है। वे नहीं चाहती कि उनकी कोख से एक और औरत जन्म ले। इसलिए दादियाँ पोतियों के बारे में सतर्क रहती हैं वे तो उसे जन्म लिंग परीक्षण कर कोख में ही उसे मार डालती हैं या पैदा होने के तुरन्त बाद या तो खुद अपने हाथों या दाई के हाथों हत्या करा देती है। दाईयाँ दूध में धान मिलाकर बच्ची को पिला देती हैं। धान के छिलकों से जो सुई जैसे नुकीले होते हैं बच्ची की आँतों से खून बहने लगता है और वह मर जाती है। कई बार कुछ जहरीले पौधों को अरंडी के तेल में मिलाकर बच्चियों को पिला दिया जाता है। जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।[3] मेरठ के निम्न मध्यम वर्ग के घरों में दाई से एक डेढ़ हजार रूपये में सौदा तय किया जाता है कि अगर लड़की हुई तो उसे मार डालेगी। दाई नवजात कन्या के मुँह पर गीला तौलिया रखकर उसकी साँस घोंट देती है या नाक में अफीम भर देती है या अफीम चटा देती है। कन्या की लाश को बैग में भरकर कचरे के डिब्बे में कूड़े में फेंक देती है। घर के सदस्य कन्या को देखते तक नहीं। उधर कन्या की साँसों का अन्त होते ही परिवार वालों की जान में जान आ जाती है।

अमेरिका में 1994 में एक सम्मेलन हुआ था। जिसमें डॉ0 निथनसन ने एक अन्ट्रासाउण्ड फिल्म (साइलेंट स्क्रीन) दिखाई। उसमें बताया गया कि 10–12 सप्ताह की कन्या की धड़कन जब 120 की गति में चलती है तब बड़ी चुस्त होती है। लेकिन जैसे ही पहला औजार गर्भाशय की दीवार को छूता है तो बच्ची डर से काँपने लगती है और अपने आप में सिकुड़ने लगती है औजार के स्पर्श करने से पहले ही उसे पता लग जाता है कि हमला होने वाला है। वह अपने बचाव के लिए प्रयत्न करती है। औजार का हमला कमर और पैर पर होता है। गाजर–मूली की भाँति उसे काट दिया जाता है। कन्या तड़पने लगती है और फिर जब उसकी खोपड़ी को तोड़ा जाता है। तो एक मूक चीख के साथ उसका प्राणांत हो जाता है। यह

*शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल
**प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल

दृश्य हृदय को दहला देता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह गर्भपात के दौरान भ्रूण स्वयं के बचाव का प्रयास करता है। गर्भ में हो रही से भागदौड़ माँ महसूस भी करती है। इस निर्मम कृत्य से ऐसा लगता है। मानो कलियुग की क्रूर हवा में माँ के दिल में करूणा का दरिया सूख गया है। तभी तो दिन–प्रतिदिन कन्या भ्रूण हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। यदि भ्रूण हत्या का सिलसिला इसी रूप में चलता रहा तो भारतीय जनसंख्या में कन्याओं की घटती संख्या से भारी असन्तुलन पैदा हो जाएगा।[4]

जिम्मेदार कौन विज्ञान या हम

देख कन्या हत्याओं के सिलसिले, धरती माँ का कलेजा हिले,विज्ञान का यह वरदान
बना था जांचने को नन्हीं जान, पर अब यह अभिशाप बन गया, बेटियों के लिए संताप बन गया
इसको बढ़ावा देने वाले, भूल बैठे इसका अन्जाम, भविष्य में माँये नहीं मिलेंगी
मिलेंगे केवल अकेले बाप? विज्ञान का इसमें दोष नहीं है, दोषी है हमारा समाज
कल भी थी तिरस्कृत स्त्री जाति, आज ही वही हालत है जनाब, पहले तो मिल जाते थे गर्भ में नौ महिने
अब तो लिंग निर्धारण होते ही काम तमाम, नित बढ़ रहा है यह खूनी मंजर, अपने घोप रहे सीने में खंजर
रक्षक ही न रही, जब कोख की दीवारें, तो रक्षा के लिए किसे पुकारें।[5]

परिवार कल्याण की दृष्टि से नारी को गर्भपात का जो अधिकार मिला था वह नारी के लिए ही "**सैक्स डिटर्मिनेशन टैस्ट**" के रूप में घातक सिद्ध हुआ। गर्भस्थ शिशु की शारीरिक एवं मानसिक अस्वाभाविकताओं के निदान के वैधानिक रूप से मान्य "**अमिनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन टैस्ट**" ने मादा भ्रूणों को अवांछित वर्जित बना दिया और यह टैस्ट पुत्र मोह में फंसे भारतीय समाज के हाथों में पड़कर कन्या शिशुओं की हत्याओं का बड़ा हथियार बन गया। अब भ्रूण परीक्षण के आधुनिक से आधुकिनक तरीके अपनाये जा रहे हैं इनकी बढ़ती लोकप्रियता और शिक्षित अशिक्षितों में इनके पक्ष में दी जाने वाली दलीलें भी समाज में लड़कियों की अवांछनीय स्थिति को ही दर्शाती है।[6]

वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ (1210193422) पहुँच गई है, जिसमें 58.64 लाख (586469174) महिलाएं तथा 62.36 लाख (623724248) पुरूष है। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में भारत में 17.64 प्रतिषत की वृद्धि दर्ज की गई। जिसमें 17.19 प्रतिशत से महिलाओं में (18.12प्रतिशत) की दर अधिक रही। भारत में 0–6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 13.12 प्रतिशत है। जिसमें लड़कों की जनसंख्या 13.3 प्रतिशत है जबकि लड़कियों की जनसंख्या लड़कों से कम 12.93 प्रतिशत ही है। 2011 में समग्र भारत में प्रति हजार पुरूषों में वर्ष 2001 से बढ़कर 940 महिलाएं हैं जबकि 2001 में यह अनुपात 933 ही था। बंगाल, केरल तथा तमिलनाडू जैसे राज्यों में स्त्री–पुरूष अनुपात में अधिक फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ महिलाओं की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है।

2011 में प्रति हजार पुरूषों में 900 से कम महिलाओं वाले 9 राज्य– जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, उत्तर–प्रदेश तथा गुजरात, महाराष्ट्र है। यहाँ 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में लड़कियों की संख्या कम हो रही है। इसके पीछे लड़कों के प्रति मोह कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों के लालन–पालन में लापरवाही अशिक्षा तथा अन्धविश्वास जैसे अनेक कारण है।

तालिका–1

विभिन्न राज्यों में शिशु लिंगानुपात 900 से कम (2001–2011)[7]

क्रम संख्या	राज्य	शिशु लिंगानुपात (0–6) वर्ष	
		2001	2011
1.	जम्मूकश्मीर	941	862
2.	हिमांचल प्रदेश	896	909
3.	पंजाब	798	846
4.	चण्डीगढ़	845	880
5.	उत्तराखण्ड	908	890
6.	हरियाणा	819	834
7.	दिल्ली	868	871
8.	राजस्थान	909	888
9.	गुजरात	883	809
10.	महाराष्ट्र	913	894

उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्य सम्पन्न राज्य माने जाते हैं यदि दहेज को कन्या भ्रूण हत्या का कारण माने तो इन राज्यों में प्रति हजार लड़कों के पीछे लड़कियों के अनुपात में अत्यधिक अन्तर आया है।

भारत में पिछले दो दशकों में अल्ट्रासाउण्ड तकनीक से परीक्षण कर लगभग एक करोड़ कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। हैदराबाद में आयोजित **एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेन्स** में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये वे गम्भीर संकट की ओर इशारा करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या का अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सन् 2050 आते–आते भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 2, करोड़ 80 लाख कम होगी।[8]

कारण–

1– भारतीय समाज के पितृसत्तात्मक सोच कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। समाज में आज भी बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है और बेटी को पराया धन धार्मिक और सामाजिक कार्यकलापों के अनुसार बेटे को ही माता–पिता के अन्तिम संस्कार व पिण्डदान का अधिकारी माना जाता है।

2– यह सामाजिक मानसिकता कि पुत्र का जन्म महिला के सामाजिक स्तर में उत्थान का कारक होता है।

3– भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण दहेज भी है।

4– पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव एवं उसका अप्रभावी क्रियान्वयन।

5– चिकित्सकों का नैतिक पतन आदि भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं।

6– सोनोग्राफी द्वारा भूण हत्या की जांच की आसान उपलब्धता, सरल व सुलभ पहुंच एवं गर्भपात की आसान प्रक्रिया कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है।[9]

परिणाम–

विडम्बना तो यह है कि समाज के अभिजात्य व सुशिक्षित वर्ग के लोग कहे जाने वाले इस घृणित कार्य में सबसे अधिक लिप्त हैं और लड़के की चाहत में क्रूरता की मिसाल कायम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लड़कों के कुंवारे रहने

का संकट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।[10] भविष्य में कन्या भ्रुण हत्या के अत्यधिक खतरनाक परिणाम सामने आयेंगे। कन्या भ्रूण हत्या से समाज में समलैंगिकता की विकषति को प्रोत्साहन मिलेगा।

रोकथाम–

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अनेक योजनाएं एवं अधिनियम बना रखे हैं। इन अधिनियमों में गर्भ धारण पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 (2003 में संशोधन) प्रमुख हैं। यह अधिनियम जन्म से पूर्व निदान की प्रक्रियाओं व परीक्षणों पर रोक नहीं लगाता क्योंकि ये जन्मजात असमानताओं का पता लगाने के आवश्यक है। यह सिर्फ भ्रूण के लिंग की पहचान व प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले चिकित्सक को पहली सजा तीन साल की कैद और 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। बाद में सजा पांच साल व 50 हजार रूपये जुर्माना भी हो सकता है। लिंग जांच करवाने के दोषी पाये जाने पर कानूनन सात साल का कारावास, जुर्माना एवं दण्ड का प्रावधान हैं।[11]

निष्कर्ष एवं सुझाव–

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कन्या भ्रूण हत्या के जघन्य अपराध के कारण लैंगिक विषमता की बढ़ती दर के कारण एक लड़खड़ाती संस्कृति के जन्म के आसार साफ देखे जा सकते हैं। संस्कृति के लड़खड़ाते का अर्थ है सभ्यता का विनाश.... तो क्या हम विनाश की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या का सच यह दर्शाता है कि हमारी सोच हमारे तथाकथित मूल्य आज भी कुछ खोखली मान्यताओं में बंधे हैं।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्राचीन काल से समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा तथा पुत्र व पुत्री के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। **"बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो"** जैसे विचारों को अपने व्यवहार में लाना होगा सरकार के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाये जाने चाहिए और कानूनों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही व कठोर आर्थिक दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। एन0 जी0 ओ0, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा जनता को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

सन्दर्भ सूची–

1– महावर–डॉ0 सुनील, भारत में महिला सषक्तिकरण, विविध आयाम, और चुनौतियाँ, प्रकाशक प्रेमचन्द्र बाकलीवाल आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान), प्रथम संस्करण–2013, पृ0–29

2– श्रीवास्तव–संतोष, मुझे जन्म दो माँ, कल्याणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2010, पृ0–15

3– श्रीवास्तव–संतोष, वही, पृ0–17

4– Google.com

5– Google.com

6– शर्मा–कुमुद, आधी दुनियां का सच, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2008, पृ0–27

7– सिंह–महेन्द्र प्रसाद, लोक प्रशासन, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ0– 465

8– श्रीवास्तव–संतोष, वही, पृ0–18

9– महावर–डॉ0 सुनील, वही, पृ0–172

10– खण्डेला, मानचन्द, महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, आविश्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ0–30

11– महावर–डॉ0 सुनील, वही, पृ0–171